श्री अनिरूद्ध कुमार, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 21.10.2019 को आयोजित महत्वपूर्ण कार्यो की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– यथा पंजी।

1. Aspirational District

Aspirational District की समीक्षा की गयी। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, NIC खगड़िया द्वारा बताया गया कि जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को छोड़कर अन्य सभी संबंधित पदाधिकारियों से प्रतिवेदन प्राप्त है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया को आज ही प्रतिवेदन जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC खगड़िया को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः सभी संबंधित पदाधिकारी)

2.कृषि विभागः–

जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया से ओलापात से हुई क्षति के भुगतान के सम्बन्ध में पृच्छा करने बताया गया कि 02 करोड़ रूपये किसानों के खाते में राशि चला गया है और कुछ शेष बचा है जो दो दिनों के अन्दर भेज दिया जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि किसानों के खाता में राशि भेजने के बाद शेष राशि बच जाता है और अब किसानों के खाता में नहीं भेजा जाना है तो राशि को जमा करें।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल क्षति के आंकलन के संबंध में पृच्छा करने पर जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 2–3 दिनों मे सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो जायेगा। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि फसल क्षति का आंकलन अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया)

3.वृद्धावस्था पेंशनः–

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि वृद्धजन का 19895 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 6285 की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा 5828 राज्य स्तर से स्वीकृत हो गया है। शेष आवेदन पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में वृद्धावस्था पेंशन हेतु छुटे हुए व्यक्तियों का आवेदन के संबंध में पृच्छा करने पर सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 3720 आवेदन राज्य स्तर पर भेजने की कार्रवाई की जा रही है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया को आवेदन को अविलम्ब राज्य स्तर पर भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया)

4. लोक शिकायत निवारणः–

लोक शिकायत मामले के विभागवार समीक्षा की गयी। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि कार्यपालक अभियन्ता विद्युत, कार्यपालक अभियन्ता लद्यु सिंचाई खगड़िया, जिला योजना पदाधिकारी, खगड़िया, जिला उदयान पदाधिकारी, खगड़िया, थानाध्यक्ष, गोगरी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खगड़िया, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल खगड़िया, प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी खगड़िया, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया/अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/अंचल अधिकारी, अलौली, जिला पशुपालन पदाधिकारी खगड़िया, अंचल अधिकारी, परवत्ता, अंचल अधिकारी/थानाध्यक्ष, परवत्ता, अंचल अधिकारी, गोगरी, अंचल अधिकारी, चौथम, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी खगड़िया, अंचल अधिकारी, खगड़िया, अंचल अधिकारी, परवत्ता, अंचल अधिकारी, गोगरी, शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंड़िया, खगड़िया, अग्रणी जिला प्रबन्धक,

खगड़िया, शाखा प्रबन्धक, बिहार ग्रामीण बैंक हरिपुर, खगड़िया, शाखा प्रबन्धक, बिहार ग्रामीण बैंक बेलदौर, शाखा प्रबन्धक बिहार ग्रामीण बैंक बेला, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया, सिविल सर्जन खगड़िया, महा प्रबन्धक, समेकित सहकारी विकास परियोजना खगड़िया, जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम, खगड़िया, कुल 47 मामले लोक शिकायत निवारण कार्यालय, खगड़िया द्वारा पारित आदेश का अनुपालन हेतु लंवित है। सबसे ज्यादा मामले जिला शिक्षा कार्यालय में 10, तथा राजस्व शाखा में 08 मामले अनुपालन हेतु लंबित है। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी अब तक अनुपालन नहीं करने के लिए अपना स्पष्टीकरण समर्पित करेंगे। यदि 05 दिनों के अन्दर संबंधित पदाधिकारी पारित आदेश का अनुपालन कर प्रतिवेदन नहीं भेजते हैं तो उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' भरकर विभाग को भेज दिया जायेगा।

(अनुपालन–सभी लोक प्राधिकार/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया)

5. मानवाधिकार एवं लोकायुक्त के मामलेः–

बैठक में मानवाधिकार कोषांग द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के यहाँ–03, अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ–02, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ–01, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ–01, अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के यहाँ–8, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ–01, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी के यहाँ–01, निदेशक, डी0आर0डी0ए0 के यहाँ–01, वरीय प्रभारी पदाधिकारी परवत्ता के यहाँ–01, जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया के यहाँ–03, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परवत्ता के यहाँ–01, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया–सह–वरीय प्रभारी पदाधिकारी गोगरी प्रखंड के यहाँ –.01, कुल–24 मामले लंवित है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को मानवाधिकार के लंवित मामले को पाँच दिनों के अन्दर निष्पादन करने का निदेश दिया गया तथा इसका अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

प्रभारी पदाधिकारी, लोकायुक्त कोषांग, खगड़िया द्वारा बताया गया कि लोकायुक्त मामले का अपर समाहर्त्ता, खगड़िया के यहाँ–01 मामले लंवित है। अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को अविलम्ब निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी)

6.सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0 के लंवित मामलेः–

सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0/एल0पी0ए0 के लंवित मामलों की कार्यालय एवं विभागवार समीक्षा की गयी। संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके विभाग अतर्गत लंवित मामलों का एक सप्ताह के अन्दर प्रतिशपथ पत्र दायर कर ओथ नम्बर विधि शाखा में भेजना सुनिश्चित करें। **(अनुपालन–सभी संबंधित पदाधिकारी खगड़िया)**

7. योजना से संबंधितः–

कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, खगड़िया/कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं गोगरी को निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण कर देख लें कि कौन–कौन सड़क बाढ़ के पानी से क्षतिग्रस्त हुआ है तथा क्षतिग्रस्त पथों में यातायात चालू रखने हेतु आवश्यक मरम्मति अविलम्ब कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण प्रमंडल, खगड़िया/ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं गोगरी)

8 .चापाकल की मरम्मतिः–

कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खगड़िया को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो चापाकल पानी में डूब गया था और अब बाहर निकल गया है उसकी मरम्मति अविलम्ब कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, खगड़िया)

9. अवैध शराब बिक्री पर छापेमारी

अवैध शराब की बिक्री पर छापेमारी के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया द्वारा बताया गया कि सूचना मिलने पर छापेमारी की जाती है। पकड़े गये शराब की विनष्टीकरण के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया द्वारा बताया गया कि पकड़े गये शराब का विनष्टीकरण हेतु दिनांक 22.10.2019 को तिथि निर्धारित है। उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचना संग्रहित कर अवैध शराब की बिक्री पर छापेमारी करने का निदेश दिया गया था।

(अनुपालन–उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया)

10.लघु सिंचाई विभागः–

कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया अनुपस्थित है। उनकी अनुपस्थित के कारण नलकूप की समीक्षा नहीं की जा सकी। कार्यपालक अभियन्ता, लद्यु सिंचाई, खगड़िया के अनुपस्थित रहने के लिए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय तथा उनका वेतन अवरूद्ध किया जाय। कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई, खगड़िया एवं उनके किसी भी प्रतिनिधि द्वारा बैठक में भाग नहीं लेने के लिए उनके विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, लद्यु सिंचाई, खगड़िया)

11.आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माणः–

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित पंचायत/टोला से पानी निकल गया है वहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र का नियमित रूप से संचालन कराना सुनिश्चित करें।

आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि चयन चल रहा है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया गया कि सेविका/सहायिका का चयन जल्द से जल्द किया जाय।

(अनुपालन–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया)

12.स्वास्थ्य विभागः–

सिविल सर्जन, खगड़िया से पृच्छा करने पर बताया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दो बार ब्लीचिंग पाउडर एवं चूना का छिड़काव कराया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि दीपावली के पूर्व एक बार फिर छिड़काव कराया जाय।

(अनुपालन–सिविल सर्जन, खगड़िया)

13.बिजलीः–

कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत खगड़िया को निदेश दिया गया कि बाढ़ प्रभावित पंचायत/टोला जहाँ से पानी निकल गया है वहाँ बिजली पोल एवं तार की मरम्मति कराकर बिजली अविलम्ब चालू कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–2 खगड़िया द्वारा बताया गया कि सोनमंखी घाट के निकट बिजली के पोल टेढ़ा हो गया है जिसके कारण विद्युत का तार काफी नीचे हो गया है किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमंडल, खगड़िया द्वारा बताया गया कि रामपुर से आगे धुरिया (इटहरी पंचायत) में पोल टेढ़ा हो गया है जिसके कारण बिजली का तार नीचे हो गया है। कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि इसे अविलम्ब ठीक कराना सुनिश्चित करें।

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0–2, खगड़िया द्वारा बदला कराचीन तटबंध पर से तार का पोल हटवाने का अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया इसे अविलम्ब इसे हटवाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन–कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया)

14.शिक्षा विभागः—

जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि पोषाक, साईकिल आदि के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि शतप्रतिशत वितरण हो गया है।

(अनुपालन—जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी)

15. नगर परिषद खगड़ियाः—

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को वर्षा का पानी जिस वार्ड में अभी तक बना हुआ है उसकी निकासी अविलम्ब कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—कार्यपालक पदाधिकारी नगर परषिद, खगड़िया)

16.तटबंधों का निरीक्षणः—

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0—1 एवं 2, खगड़िया से पृच्छा करने पर बताया गया कि गंगा नदी, बूढ़ी गंडक, कोशी एवं बागमती नदी का जलस्तर घट रहा है तथा सभी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल सं0—1 एवं2 ,खगड़िया)

17. स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठनः—

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यपाक अभियन्ता, खगड़िया अनुपस्थित है। बताया गया कि वे ऑख के इलाज कराने हेतु बाहर गए हुए है। उन्हें निदेश दिया जाता है कि माननीय सांसद एवं विधायक द्वारा अनुशंसित योजना में से कितने योजना की स्वीकृति दी गयी, कितने योजना में कार्य प्रारंभ हुई, कितनी योजना पूर्ण हुई तथा कितनी योजना अधुरी है। इसका प्रतिवेदन माननीय सांसद एवं विधायक द्वारा मांग की जा रही है। वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण, खगड़िया)

18.पशुपालनः'—

खगड़िया, मानसी, गोगरी एवं परवत्ता प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायत/टोला में कितना भूसा का वितरण किया गया है, अनुमंडल पदाधिकारी से सत्यापित कराकर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। यदि एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(अनुपालन— जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया)

19. भू—अर्जनः—

कार्यपालक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सं0—2, खगड़िया द्वारा बताया गया कि कराचीन बदला घाट तथा बदला नगरपाड़ा तटबंध के चौड़ीकरण हेतु भू—अर्जन का प्रस्ताव जिला भू—अर्जन कार्यालय, खगड़िया को भेजा गया है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे इस पर अविलम्ब भू—अर्जन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन—जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, खगड़िया)

20.जीविकाः—

डी0पी0एम0 जीविका बैठक से अनुपस्थित है। समीक्षा में पाया गया कि डी0पी0एम0 जीविका कभी भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। निर्णय लिया गया कि उनके विरूद्ध विभाग को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालन—विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

21.वन विभागः—

वन प्रमंडल, खगड़िया के कोई भी पदाधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं है। इसके लिए वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, खगड़िया से स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय एवं वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के विरूद्ध सरकार को प्रतिवेदित किया जाय।

(अनुपालन—विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

22. उद्योग विभागः—

महाप्रबन्धक, जिला, उद्योग केन्द्र, खगड़िया बैठक से अनुपस्थित हैं। बराबर वे बैठक से अनुपस्थित रहते हैं। उनसे स्पष्टीकरण की मांग की जाय तथा उनका वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखा जाय।

(अनुपालन—विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, खगड़िया)

23.नगर परिषद, खगड़िया एवं नगर पंचायत गोगरीः—

घर तक पक्की गली नालिया की समीक्षा की गयी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया गया कि खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र अन्तर्गत कुल वार्डो की संख्या 26 है। 26 वार्ड में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। कुल लक्षित घरों की संख्या 2487 है तथा 07 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है तथा कार्य पूर्ण घरों की संख्या 1668 है।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी द्वारा बताया गया कि उनके नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत कुल वार्डो की संख्या 20 है तथा 18 वार्ड में कार्य प्रारंभ कराया गया है। कुल लक्षित घरों की संख्या 1955 है जिसमें से 1742 में कार्य पूर्ण हो गया है। शेष में कार्य चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि शेष कार्य अविलम्ब पूर्ण करा लिया जायेगा।

हर घर नल का ल के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 26 वार्ड में से 23 वार्ड में कार्य प्रारंभ कराया गया है। कुल लक्षित घरों की संख्या 9456 है तथा 09 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया है। कार्य पूर्ण घरों की संख्या 2161 है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया को अविलम्ब कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी से हर घर नल का जल के संबंध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 20 वार्ड में से 08 वार्ड में कार्य प्रारंभ कराया गया है कुल लक्षित घरों की संख्या 5615 है जिसमें एक वार्ड में 230 घरों में कार्य पूर्ण हो गया है। समीक्षा में पाया गया कि 20 वार्ड में से मात्र 08 वार्ड में कार्य प्रारंभ कराया गया है। यह अत्यन्त ही चिन्ताजनक स्थिति है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत गोगरी को शेष वार्डो में अविलम्ब कार्य प्रारंभ कराने एवं कार्य प्रारंभ वार्डो में कार्य पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद / नगर पंचायत गोगरी)

24. <u>सभी पी0एच0सी0 अस्पतालों में लैंडलाइन फोन अधिष्ठापित करते हुए क्रियाशील रखे जाने</u>ः—

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार—सह—अध्यक्ष, शासी निकाय, बिहार विकास मिशन की अध्यक्षता में दिनांक 14.09.2019 को हुई बैठक में दिये गये निदेश के आलोक में सिविल सर्जन, खगड़िया को सभी पी0एच0सी0 अस्पतालों मे लैंण्डलाइन फोन अधिष्ठापित करते हुए क्रियाशील रखने एवं अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—सिविल सर्जन, खगड़िया)

25 मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजनाः—

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान में त्वरित गति से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया)

26.वृहत आश्रय गृहः—

वृहत आश्रय गृह निर्माण हेतु भूमि चिन्हित करने की कार्रवाई करने का निदेश अपर समाहर्त्ता, खगड़िया को दिया गया। साथ ही कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, खगड़िया को अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन—अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमंडल, खगड़िया)

27.आधारभूत संरचना उप—मिशनः—

कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं गोगरी को ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना के सर्वेक्षण से 250+ आबादी वाले बसावटों/टोलों को मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः—कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, खगड़िया एवं गोगरी)

28.उर्जा विभागः—

पुराने एवं जर्जर तारों की जगह नए तार लगाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन—कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया)

29.परिवहन विभागः—

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अन्तर्गत अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को दिया गया।

(अनुपालन—जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया)

30. कृषि उप—मिशनः—

कृषि रोड मैप अवधि में गेहूँ की उत्पादकता एवं मक्का के उत्पादन के संबंध में पृच्छा करने पर जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि कार्रवाई की जा रही है।

चावल और गेहूँ में आर्सेनिक की मात्रा काफी पाये जाने के कारण आर्सेनिक प्रभावित इलाकों में इसकी जॉच कराने के बिन्दु पर पृच्छा करने पर जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि इसकी जॉच करायी जा रही है।

डीजल अनुदान वितरण के सम्बन्ध में पृच्छा करने पर बताया गया कि 14000 किसानों से ऑन लाईन आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें से 7000 का हुआ है। शेष 7000 आवेदन पर तुरंत कार्रवाई करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी, खगडिया को दिया गया।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में पृच्छा करने पर जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि 70,000 आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें से 42000 लोगों को भेज दिया गया है। शेष पर कार्रवाई चल रही है। जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया को अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन— जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया)

31.पशु एवं मत्स्य संसाधनः—

पृच्छा करने पर जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि बकरी पालन के लिए योजना है। 02 का भुगतान हुआ है, शेष पर कार्रवाई चल रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया को शेष पर तुरंत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिला मत्स्य पदाधिकारी, खगड़िया से पृच्छा करने पर बताया गया कि मछली पालन एवं मछली उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।

(अनुपालन—जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया/जिला मत्स्य पदाधिकारी, खगड़िया)

32.सहकारिताः—

जैविक सब्जी उत्पादन, विपणन एवं प्रसंस्करण अन्तर्गत सहकारी समितियों का गठन के संबंध में जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा बताया गया कि रजिस्ट्रेशन कराया गया है। इस पर कार्रवाई की जा रही है।

सोयाबीन के फसल के सम्बन्ध में बताया गया कि इस जिले अन्तर्गत सोयाबीन की खेती कम होती है। किसानों को सोयाबीन की खेती हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(अनुपालन—जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-

जिलाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक 1729/गो0, दिनांक 27/10/19

प्रतिलिपिः अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/उप विकास आयुक्त, खगड़िया/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया/सिविल सर्जन, खगड़िय/अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिला शिक्षा पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, खगड़िया/अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया/जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया/जिला कृषि पदाधिकारी, खगड़िया/कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत, खगड़िया/सभी कार्यपालक अभियन्ता/जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, मानवाधिकार एवं लोकायुक्त कोषांग, खगड़िया/जिला अग्रणी बैंक प्रबन्धक, खगड़िया/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, खगड़िया/DIO NIC/ जिला प्रबन्धक, डी0आर0सी0सी0, खगड़िया/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/10/19

जिलाधिकारी,
खगड़िया।